FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर (सीकर)

फूलचन्द वगै0 बनाम अणची वगै0

किस्म मुकदमा:– इजराय मुकदमा नम्बर:– 13 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
28.10..2020	डिक्रीदार की ओर से श्री भॅवर सिंह बिजारणियां एड0 ने उपस्थित होकर इजराय पेश की। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.06.2008 को पारित किया गया था। जिसे पारित किए गए 12 वर्ष से भी अधिक का समय हो चूका है लेकिन उक्त निर्णय की पालना में डिक्रीदार व वकील डिक्रीदार द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई इजराय पेश नहीं की गई है। निर्णय की पालना में इजराय 12 वर्ष तक की अवधि में ही पेश की जा सकती है। जो डिक्रीदार व वकील डिक्रीदार द्वारा पेश नहीं की गई है। उक्त प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र मियाद बाहर हो चूकी है। डिक्रीदार व वकील डिक्रीदार ने भी ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि डिक्रीदार वादी व वकील डिक्रीदार द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई इजराय की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र इत्यादि पेश किया हों। अतः वकील डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (बृजेश कुमार) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.12.18 11:23:46 IST
Reason: SelfAttested